

भारत सरकार
कर्मचारी चयन आयोग (मध्य प्रदेश क्षेत्र)
'निशांत विला', एफ- जल विहार कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

(यह सूचना और आवेदन प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.sscmpr.org पर भी उपलब्ध है)

विज्ञापन संख्या-1/2012

निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

एमपीआर-1 : शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना नई दिल्ली में वरीष्ठ वैज्ञानिक सहायक

रिक्त पदों की संख्या- 02 (01-अपिव, 01-अजा)

वर्गीकरण- समूह 'ख' (अराजपत्रित)

वेतनमान- 9300-34800 (पे बैंड-2), ग्रेड पे - 4200

आयु- 30 वर्ष से अधिक नहीं (विभागीय/केन्द्रीय सरकार सिविलियन कर्मचारियों को आयु सीमा में 5 वर्ष तक छूट, जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि (27-02-2012) को नियमित आधार पर (तदर्थ आधार पर नहीं) न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की हो ।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता- 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जैव/विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि या समकक्ष ।

2. जैव/विश्लेषणात्मक रसायनशास्त्र में शोध कार्यों में एक वर्ष का अनुभव एवं/अथवा रासायनिक/औषधीय रोपण में आधुनिक विश्लेषणात्मक तकनीकी के उपयोग का अनुभव ।

(परीक्षार्थी के अन्यथा सुयोग्य होने की स्थिति में आयोग निर्धारित योग्यता में विवके से शिथिलता प्रदान कर सकता है ।)

प्रारंभिक नियुक्ति - नीमच (मप्र)

अखिल भारतीय सेवा बाध्यता : हां

परीक्षा अवधि : 2 वर्ष

कार्य अपेक्षाएं -विश्लेषणात्मक उपकरण जैसे जीसी, एचपीसीएल, एचपीटीएलसी, एफटी-आईआर, यूवी-बीआईएस, एएस और जीसी-एमएस तथा विश्लेषण के परंपरागत विधि के उपयोग से आर एण्ड डी कार्य एवं गुणवत्ता नियंत्रण का निष्पादन करना। अफीम क्षारोद/विभिन्न नारकोटिक्स औषधि एवं ओपिएट का परीक्षण/विश्लेषण, मुख्यतः नारकोटिक्स औषधि एवं साइकोटॉपिक पदार्थ(एनडीपीएस एक्ट) एवं उनके आईपी, बीपी, यूएस फार्माकोपाइस इत्यादि में मानकीकरण। उनकी प्रतिनियुक्ति उत्पादन निरीक्षण/पैकिंग/ ईटीपी अनुभाग में भी की जा सकती है ।

यह पद के लिए शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी योग्य नहीं हैं ।

एमपीआर-2 : केन्द्रीय भूजल बोर्ड फरीदाबाद में वरीष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी)

रिक्त पदों की संख्या- 01 (अजजा)

वर्गीकरण- सामान्य केन्द्र सेवा, समूह 'ख' (अराजपत्रित) गैर मंत्रालयीन

वेतनमान- 9300-34800 (पे बैंड-2), ग्रेड पे - 4600

आयु- 30 वर्ष से अधिक नहीं (विभागीय/केन्द्रीय सरकार सिविलियन कर्मचारियों को आयु सीमा में 5 वर्ष तक छूट, जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि (27-02-2012) को नियमित आधार पर (तदर्थ आधार पर नहीं) न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की हो ।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूभौतिकी अथवा व्यावहारिक भूभौतिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि या समकक्ष ।

वांछनीय योग्यता- भूजल खोज के भूभौतिकी अनुसंधान कार्यों में दो वर्ष का अनुभव ।

(परीक्षार्थी के अन्यथा सुयोग्य होने की स्थिति में आयोग निर्धारित योग्यता में विवके से शिथिलता प्रदान कर सकता है ।)

प्रारंभिक नियुक्ति - एनसीआर, भोपाल(मप्र)

अखिल भारतीय सेवा बाध्यता : हां

परीक्षा अवधि : 2 वर्ष

कार्य अपेक्षाएं -सभी प्रकार के भूभौतिकी क्रियाकलाप जो आबंटित किया गया हो ।

भूभौतिकी अनुसंधान कार्य में सहयोग एवं संचालन एवं आंकड़ों का संकलन। क्षेत्र में लेकर गए उपकरणों का उचित रखरखाव ।

आंकड़ों को तैयार करने के साथ वरीष्ठ अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार कार्य में सहयोग करना तथा मानचित्र एवं प्लेट्स एवं सारणीयन तैयार करने में सहयोग करना। उपकरणों की नियमित जाँच ।

यह पद के लिए शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी योग्य नहीं हैं ।

एमपीआर-3 : केन्द्रीय भूजल बोर्ड फरीदाबाद में में वरीष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन)

रिक्त पदों की संख्या- 01 (अनाा)

वर्गीकरण- सामान्य केन्द्र सेवा, समूह 'ख' (अराजपत्रित) गैर मंत्रालयीन

वेतनमान- 9300-34800 (पे बैंड-2), ग्रेड पे - 4600

आयु- 30 वर्ष से अधिक नहीं (विभागीय/केन्द्रीय सरकार सिविलियन कर्मचारियों को आयु सीमा में 5 वर्ष तक छूट, जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि (27-02-2012) को नियमित आधार पर (तदर्थ आधार पर नहीं) न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की हो ।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन या कृषि रसायन या मृदा विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या समकक्ष ।

भूजल विश्लेषण एवं भूजल रसायन कार्यों में दो वर्ष का अनुभव ।

(परीक्षार्थी के अन्यथा सुयोग्य होने की स्थिति में आयोग निर्धारित योग्यता में विवके से शिथिलता प्रदान कर सकता है ।)

प्रारंभिक नियुक्ति – एनसीसीआर, रायपुर

अखिल भारतीय सेवा बाध्यता : हां

परीक्षा अवधि : 2 वर्ष

कार्य अपेक्षाएं –जल तथा प्राकृतिक एवं दूषित जल के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण।

आधारभूत रासायनिक अभिलक्षण के लिए जल के नमूनों का विश्लेषण।

भूजल आंकड़ों का वार्षिक-पत्रिका(रासायनिक) रासायनिक तिथि का संकलन, हाइड्रो रासायनिक मानचित्र/प्रतिवेदन एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन को तैयार करना।

उपस्कर एवं उपकरण का संचालन एवं रखरखाव। प्रायोगशाला अभिकर्मक के तैयारी का निरीक्षण।

प्रयोगशाला रासायनिक डाटा बैंक एवं अभिकर्मक केन्द्र जहाँ से अन्य प्रयोगशाला में मानक अभिकर्मक का नियंत्रण एवं वितरण किया जाता हो का 'विश्लेषण एवं गुणवत्ता नियंत्रण'।

यह पद के लिए शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी योग्य नहीं हैं ।

नोट I- आयु एवं शैक्षणिक योग्यता की गणना आवेदन की अंतिम तिथि, यथा-27-02-2011 से की जाएगी ।

नोट II-भारत के राजपत्र में दिनांक 8-4-1995 को प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिसूचना संख्या-44, दिनांक 1-3-1995 के अनुसार 'ओपन यूनिवर्सिटी' / 'डिस्टेंस एजुकेशन' से प्राप्त डिग्री, डिस्टेंस एजुकेशन कौंसिल, इग्नू से मान्यता प्राप्त होना चाहिए । यह भी कि यदि डिग्री उस अवधि में प्राप्त की गई थी, जिसमें वह मान्यता प्राप्त थी, तो ऐसी डिग्री को भी शैक्षणिक योग्यता के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

नोट III-जिन अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि (दिनांक 27-02-2012) तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा नहीं होगी, वे योग्य नहीं होंगे तथा आवेदन की आवश्यकता नहीं है ।

1.1 प्रयुक्त संक्षेपण –शैयो-शैक्षणिक योग्यता, वांयो-वांछनीय योग्यता, अना-अनारक्षित, अपिव-अन्य पिछड़ा वर्ग, अजा-अनुसूचित जाति, अजजा-अनुसूचित जनजाति, शावि-शारीरिक विकलांग, अवि-अस्थि विकलांग, बवि-बधिर विकलांग, दृवि-दृष्टि विकलांग, वेमा-वेतनमान, प्रातै-प्रारंभिक तैनाती, अभासेदा-अखिल भारतीय सेवा दायित्व, काअ-कार्य अपेक्षाएं

2. देय शुल्क – 50/- (मात्र पचास रूपये)

2.1 शुल्क भुगतान का प्रकार- केवल केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट द्वारा

2.1.1 भुगतान का तरीका – उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा शुल्क केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के रूप में अदा करें जिसके लिए उन्हें कोई कमीशन नहीं चुकाना है । ये टिकट देश के सभी विभागीय डाक कार्यालयों में उपलब्ध है । ये भर्ती टिकटें आवेदन प्रपत्र में दांये कोने के उपर इस हेतु निर्धारित स्थान पर चिपका दी जाएं । भर्ती शुल्क टिकट को किसी भी जारीकर्ता डाकघर के लिपिक द्वारा उस डाकघर की तारीख वाली मुहर से इस तरह निरस्त करा लेना चाहिए कि डाकघर की मुहर बिल्कुल साफ एवं सुस्पष्ट हो ताकि बाद में जारी करने वाले डाकघर एवं दिनांक की पहचान करने में आसानी रहे । भर्ती शुल्क टिकटों के निरस्त न कराए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है ।

2.1.2 चुकाया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा ।

2.1.3 केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से चुकाया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन एकदम से निरस्त कर दिए जाएंगे और चुकाया गया शुल्क जब्त हो जाएगा ।

2.2 शुल्क से छूट- अजा/अजजा/शा.वि./भूपू.सै./महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं है

शुल्क से छूट अपिव श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है

शुल्क से छूट भूपू.सैनिकों के पुत्रों एवं पुत्रियों के लिए लागू नहीं है

ऐसे भूपू.सै. अभ्यर्थी जो शासकीय सेवा में हैं, शुल्क छूट हेतु पात्र नहीं हैं

नोट-1—आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन कर रहे हैं उन्हें आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी, लेकिन फिस में छूट प्राप्त होगी। तथापि शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट प्राप्त होगी, भले ही वह रिक्ति/रिक्तियां उनके लिए आरक्षित न हों, लेकिन वह पद ऐसे अभ्यर्थियों के लिए योग्य घोषित किए गए हों।

3. आयु में छूट :-

- 3.1 अजा/अजजा श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु उपरी आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट है।
- 3.2 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञा.सं. 43013/2/95-स्था(एससीटी), दिनांक 25-1-95, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार अपिव अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट।
- 3.3 शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 वर्ष की छूट (नोटिस के पैरा-2 के नीचे दिए गए नोट-11 भी देखें)
- 3.4 भूटान में चुखा पनबिजली परियोजना प्राधिकरण के छंटनी किए गए उन कर्मचारियों को जिन्हें सीधे ही भर्ती किया गया था, को उनके द्वारा प्राधिकरण में की गई नियमित सेवा अवधि तक उपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। (निकाले गए कर्मचारियों द्वारा की गई नियमित सेवा की अवधि चुखा पनबिजली परियोजना प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर तय की जाएगी)।
- 3.5 जो अभ्यर्थी 1-1-80 से 31-12-89 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के सामान्यतया मूल निवासी थे, को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके समर्थन में अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ आवास के प्रमाण के रूप में निम्न में से किसी एक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
—
क. जिला मजिस्ट्रेट, जिनके अधिकार क्षेत्र का वह सामान्यतया मूल निवासी था, अथवा
ख. जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि 1.1.80 से 31.12.89 की अवधि के दौरान वह सामान्यतया जम्मू और कश्मीर राज्य का अधिवासी था।
- 3.6 विधवाओं, परित्यक्ता महिलाओं और कानूनी तौर पर अपने पति से अलग महिलाओं जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है को उपरी आयु सीमा में केवल श्रेणी 'ग' पद के लिए 35 वर्ष तक की छूट (अजा/अजजा/ श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों हेतु उपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तथा अपिव को 38 वर्ष तक छूट है)
- 3.7 रक्षा कार्मिकों को उपरी आयु सीमा में केवल श्रेणी 'ग' पद के लिए अधिकतम 3 वर्ष (अजा/अजजा अभ्यर्थियों को 8 वर्ष तथा अपिव को 6 वर्ष) की छूट है जो विदेश या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में अक्षम हो गया है और इस आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो।
- 3.8 (I) केवल श्रेणी 'ग' पद के लिए— भूतपूर्व सैनिकों, जो सरकार द्वारा समय-समय पर बनाई गई शर्तों को पूरा करते हैं, को अपनी रक्षा सेवा अवधि को अपनी आयु में से घटाने की अनुमति होगी और इस तरह प्राप्त परिणामी आयु निर्धारित उपरी आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(II) केवल श्रेणी 'ख' पद के लिए— ऐसे भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड आफिसर (ECOs/SSCOs सहित) जिन्होंने दिनांक 27-02-2012 को 5 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष (अजा/अजजा को 10 वर्ष तथा अपिव को 8 वर्ष) की छूट है तथा साथ ही (I) 'असाइनमेंट' पूर्ण होने या 'डिसमिसल' या 'मिसकंडक्ट' के आरोप में 'डिस्चार्ज' या 'इनइफिसिएन्सी' या (II) सैन्य सेवा में शारीरिक अक्षमता होने, या (III) 'इनवैलिडमेंट' पर, और जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया गया हो कि वे 'सिविल एम्प्लॉमेंट' के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति का बुलावा आने पर तीन माह की नोटिस पर छोड़ दिया जाएगा।

नोट-2 भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है, जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना से लड़ाकू अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो तथा —

- क. जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ/हुई हो । इसमें वे व्यक्ति शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवा निवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद, या
- ख. जिसे सैन्य सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो, या
- ग. जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से अपने अनुरोध के अलावा किसी अन्य आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो, या
- घ. जो सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान (ग्रेच्यूटी) दिया गया हो, इसमें प्रादेशिक सेना की निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं –

1. निरंतर मूर्त सेवा के पेंशनधारी
2. सैनिक सेवा के कारण अक्षम हुए व्यक्ति तथा
3. वीरता पुरस्कार विजेता

नोट-3- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02-04-1992 के का.ज्ञा.सं. 36034/6/90-स्था. (एससीटी) के अनुसार ऐसे भूपूसे अभ्यर्थी जिन्होंने भूपूसे के रूप में दिए गए लाभ उठाने के बाद केन्द्रीय सरकार के अधीन सिविल साइड में पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया हो वे भूपूसे के पुनर्नियोजन के लिए उच्च ग्रेड में दूसरे रोजगार प्राप्त करने के लिए भूपूसे के लिए निर्धारित की गई आयु सीमा में छूट के पात्र हैं। यद्यपि ऐसे अभ्यर्थी भूपूसे के रूप में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे और न ही परीक्षा शुल्क से छूट प्राप्त होगी ।

नोट-4- किसी भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में आह्वान पर सेवा (काल-अप-सर्विस) की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा मानी जाएगी । आरक्षण की सुविधाओं को प्राप्त करने के प्रयोजन से संघ की तीनों सेनाओं के किसी भी सैनिक को भूपूसे के रूप में माने जाने के लिए आवश्यक है कि उसने पद/सेवा के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संगत समय पर भूपूसे का दर्जा पहले ही प्राप्त कर लिया हो तथा/अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा यह सिद्ध करने की स्थिति में हो कि वह आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख (27-02-2012) से एक वर्ष की निश्चित अवधि के भीतर अपनी सेवा अवधि पूरी कर सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त/सेवामुक्त हो जाएगा ।

नोट-5- भूपूसे द्वारा इस संबंध में दिया जाने वाला प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र अनुलग्नक IV एवं V में दिया गया है ।

प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप

अभ्यर्थी जो आरक्षित पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं या आयु में शिथिलता चाहते हैं, उन्हें आवश्यक प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी से जारी, संवीक्षा हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना चाहिए, अन्यथा उनका अजा/अजजा/अपिव/शावि/भूपूसे हेतु किया गया दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनका आवेदन पत्र सामान्य अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तुत माना जाएगा । प्रमाण पत्रों के प्रारूप एवं प्रकार निम्नांकित हैं-

- अनुलग्नक I - अजा/अजजा अभ्यर्थियों हेतु
 अनुलग्नक II - अपिव अभ्यर्थियों हेतु
 अनुलग्नक III - शावि अभ्यर्थियों हेतु
 अनुलग्नक IV - भूपूसे अभ्यर्थियों हेतु

नोट- अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि उनके द्वारा अजा/अजजा/अपिव/शावि/भूपूसे हेतु गलत दावा किया जाता है तो वे आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से आजीवन प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे ।

नोट- II। शा.वि. प्रमाण पत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता :-

(I) निःशक्तता प्रमाण पत्र केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। राज्य सरकार कम से कम 3 सदस्यों का एक चिकित्सक बोर्ड गठित कर सकती है, जिनमें से कम से कम एक सदस्य संबद्ध क्षेत्र जैसे लोकोमीटर/सेरेब्रल/दृष्टि/श्रवण जो भी मामला हो, का विशेषज्ञ होगा

(II) जिनकी निःशक्तता अस्थायी है, उनका प्रमाण पत्र 05 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र में वहां वैधता तिथि दर्शायेगा जहां निःशक्तता की कोटि में परिवर्तन की संभावना हो। जिनकी निःशक्तता स्थायी होगी, उनके लिए यह मान्यता स्थायी दर्शाई जा सकती है। आवेदक के प्रार्थना पत्र देने पर, मेडिकल बोर्ड मामले से संबंधित सभी तथ्यों के आधार पर अपने निर्णय को पुनर्अवलोकित कर सकता है और मामले के संबंध में निर्णय ले सकता है जैसा वह उचित समझे।

(III) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 73 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 31.12.1996 को अधिसूचित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 के अनुसार, निःशक्तता प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकारियों का केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया एक चिकित्सा बोर्ड होगा। राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों के एक चिकित्सा बोर्ड का गठन कर सकती है जिनमें से कम से कम एक सदस्य लोकोमीटर/निम्न दृष्टि सहित चक्षुष श्रवण तथा वाक् निःशक्तता, मानसिक मंदता तथा कुष्ठ उपचार, जैसा भी मामला हो, के निर्धारण के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होगा।

नोट- III। केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अपने कार्यालय से एक प्रमाण पत्र (अनुबंध VII के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा जिसमें उनके सेवा-काल का उल्लेख हो ताकि आयोग द्वारा उनकी पात्रता का निर्धारण किया जा सके। वे अपने कार्यालय/विभाग के प्रमुख को सूचित करने के बाद अपना आवेदन पत्र सीधे आयोग को भेज सकते हैं तथा उन्हें उचित माध्यम से कोई और प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि वे आवेदन पत्र उचित माध्यम से भेजने का निर्णय लेते हैं तो वे यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि हर प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र कर्मचारी चयन आयोग में अंतिम तिथि तक पहुंच जाना चाहिए। यदि आवेदन पत्र देर से प्राप्त होगा और/या नियमों में उपबंधित तरीके से हर प्रकार से पूर्ण नहीं होगा तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

जैसा कि उपर दिया गया है, को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी।

4. **प्रारंभिक चयन-** केवल न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इत्यादि पूरी करने ही अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाए जाने की पात्रता नहीं होगी। आयोग पदों की संख्या के अनुसार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक रिकॉर्ड के आधार पर अभ्यर्थियों की प्रारंभिक छंटनी कर सकता है।
5. **स्क्रीनिंग टेस्ट-** आयोग अपने विवेकानुसार सभी/प्रारंभिक रूप से छांटे गए अभ्यर्थियों हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन कर सकता है। केवल वही अभ्यर्थी जो कि आयोग के विवेकानुसार निर्धारित मानदंडों के अनुरूप स्क्रीनिंग टेस्ट में अर्हता प्राप्त करते हैं, साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने योग्य होंगे। साक्षात्कार/स्क्रीनिंग टेस्ट आयोग के उप क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर या अन्य कोई केंद्र जो कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, पर होगा। 'स्क्रीनिंग टेस्ट' के लिए बुलाए गए परीक्षार्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. **आवेदन कैसे करें -**
- 6-1 अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी हस्तलिपि में नीली या काली स्याही से केवल हिन्दी या अंग्रेजी में भरेंगे। अन्य किसी भाषा में भरा गया आवेदन पत्र एकदम से निरस्त कर दिया जाएगा।

- 6-2 आवेदन पत्र को सही भरने में अभ्यर्थियों द्वारा पूरी सावधानी बरती जाए । कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए । अपूर्ण या कटे-फटे आवेदन एकदम से निरस्त कर दिया जाएगा । इस तरह के निरस्तीकरण के लिए कोई भी प्रत्यावेदन या पत्राचार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- 6-3 अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में कोई झूठा तथ्य न लिखें और न ही कोई संबद्ध सूचना छिपाएं । अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज या दस्तावेज की अनुप्रमाणित छायाप्रति में दर्ज किसी आंकड़े के साथ किसी भी परिस्थिति में कोई छेड़छाड़ या किसी परिवर्तन का कोई प्रयास न करें और न ही उन्हें कोई परिवर्तित/बनावटी दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए । यदि इसमें कोई अस्पष्टता या कोई विसंगति हो तो विसंगति के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए ।
- 6-4 आवेदन पत्र एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार में प्रकाशित प्रारूप में होना चाहिए । आवेदन डबल स्पेस में टंकित या हाथ से स्वच्छ रूप में लिखे में भी हो सकते हैं, लेकिन प्रारूप प्रकाशित आवेदन के अनुरूप होना चाहिए । ऐसे आवेदन ऐसे जो कि विज्ञापन में प्रकाशित आवेदन पत्र के प्रारूप के समान नहीं हैं, एकदम से अस्वीकृत कर दिये जाएंगे ।
- 6-5 अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में फोटो के लिए निर्धारित स्थान में अपना हाल ही का फोटो चिपकाना चाहिए । अभ्यर्थियों द्वारा चिपकाई गई फोटो की समान प्रतियां भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए ।
- 6-6 अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में घसीट लिपि में (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नहीं) अपने हस्ताक्षर करने चाहिए –
- (1) फोटो के नीचे इस हेतु निर्धारित स्थान में,
 - (2) अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली सामान्य घोषणा के नीचे, और
 - (3) विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा के नीचे, यदि लागू हो तो ।
- 6-7 निर्धारित स्थान पर बिना फोटोग्राफ या बिना हस्ताक्षरित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे । यदि हस्ताक्षर में किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो आवेदन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा ।
- 6-8 एक लिफाफे में एक अभ्यर्थी का ही आवेदन होना चाहिए । इस अनुदेश के उल्लंघन होने पर आयोग द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें आवेदनों का निरस्तीकरण भी शामिल है ।
- 6-9 आवेदन पत्र के लिफाफे पर बड़े अक्षरों में ' _____ –2011 पद के लिए आवेदन पत्र' लिखा जाना चाहिए और निम्नांकित पते पर भेजा जाना चाहिए–

उप क्षेत्रीय निदेशक (मप्रक्षे)
कर्मचारी चयन आयोग
'निशांत विला' एफ, जल-विहार कॉलोनी,
रायपुर, छत्तीसगढ़- 492 001

7. अंतिम तिथि- आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि 27-02-2012 (सायं 05:00 बजे तक) है । हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप मंडल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप असम, मेघालय, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में रहने वाले अभ्यर्थियों की स्थिति में 05-03-2012 (सायं 05:00 बजे तक) है ।

8. आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज-

- (1) अपना पता लिखा हुआ 12 x 25 सेमी आकार का एक लिफाफा, जिसमें 6/-रु. का डाक टिकट लगा हो । एक स्वयं का पता लिखा पोस्टकार्ड, जिस पर 6/- रु. का डाक टिकट लगा हो । पोस्ट कार्ड पर अभ्यर्थी द्वारा ' _____ –2011 पद के लिए आवेदन पत्र' लिखा जाना चाहिए ।
- (2) साफ और पठनीय अक्षरों में अपना नाम और पता लिखी हुई दो पर्चियां ।
- (3) अनिवार्य योग्यता के समर्थन में अंकसूची, प्रमाण पत्र इत्यादि ।
- (4) अजा/अजजा/अपिव/शावि/भूपूसै श्रेणी के समर्थन में दस्तावेज । जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रारूप के सदृश होना चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार में विज्ञापन के साथ प्रकाशित है ।

- (5) आयु में छूट में दावे के समर्थन (अजा/अजजा/अपिव/शावि/भूपूसै की स्थिति में) में दस्तावेज। प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक I, II, III, IV एवं V में दिए गए हैं।
- (6) आयु के प्रमाण हेतु जन्म तिथि को दर्शाने वाला बोर्ड से जारी मैट्रिक स्तरीय या समकक्ष प्रमाण पत्र की साक्षात्कृत छायाप्रति। कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं होगा।
- (7) आयु के लिए छूट का दावा करने वाले केंद्र सरकार/विभागीय उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र के साथ, स्वयं के कार्यालय से जारी, सामान्य अंतिम तिथि को नियमित आधार पर सेवा अवधि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र (अनुलग्नक VI एवं VII के अनुसार), प्रस्तुत करना होगा।
- (8) सिविल पदधारी सभी सरकारी सेवक, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, निर्धारित कर्मचारी हो, नैमित्तिक हों या दैनिक मजदूरी पर हों, या लोक उद्यम में कार्यरत हों, को यह वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग प्रमुख को लिखित में इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के संबंध में सूचित कर दिया है।
- (9) विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र।
- (10) आवेदन पत्र में चिपकाया गया 50-00 रु. का केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट, जिसे पोस्ट आफिस से विधिवत रूप से निरस्त कराया गया हो।

9. अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश

1. इस विज्ञप्ती द्वारा अन्य समान/समतुल्य रिक्तियों को भी भरा जा सकता है। उक्त रिक्तियों में परिवर्तन हो सकता है।
2. किसी भी प्रकार की सिफारिश करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
3. अभ्यर्थियों को अपने हित में परीक्षा की विज्ञप्ति के सभी उपबंधों को ध्यानपूर्वक पढ़कर यह सुनिश्चित कर लें कि पद, जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं, के संबंध में निर्धारित सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनंतिम होगा, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। यदि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षण से पहले या बाद में किसी भी समय जाँच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।
4. आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त दस्तावेजों के प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र सरसरी तौर पर अथवा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा उस संबंध में किसी भी प्रार्थना पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
5. आवेदन के साथ कोई मूल प्रमाण पत्र न भेजें।
6. आयोग द्वारा केवल मैट्रिक/सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही स्वीकार की जाएगी और बाद में इसमें परिवर्तन हेतु प्रार्थना पर न कोई विचार किया जाएगा और न ही उसमें परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी।
7. आयोग के विवेकानुसार अन्यथा योग्य व्यक्तियों के लिये शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है।
8. जिन अभ्यर्थियों के पास आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं है वे इस पद के योग्य नहीं हैं एवं उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
9. जिन अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग टेस्ट/साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा उन्हें उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर इस पद के लिये शैक्षणिक योग्यता होने का दावा किया गया है, अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी एवं इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
10. अभ्यर्थियों को यह विकल्प है कि वे अपने आवेदन पत्र के साथ वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार या तो विभिन्न प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित फोटोप्रतियां प्रस्तुत करें या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित फोटोप्रतियां प्रस्तुत करें, तथापि स्क्रीनिंग टेस्ट/साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्रों की संविक्षा की जायेगी तथा उनकी अभ्यर्थिता ऐसी संविक्षा के अधीन होगी। विभिन्न प्रमाण पत्रों के स्व-प्रमाणन की सुविधा का प्रयाग करने समय अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आयोग को भ्रम में रखने अथवा इसकी परीक्षाओं में बैठने का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई गलत प्रमाणीकरण

करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त करने के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक/परीक्षा से वारित करने की कार्रवाई की जाएगी ।

11. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के सिविल पदधारी कर्मचारी अपने कार्यालय/विभाग प्रमुख को सूचित करके अपना आवेदन पत्र सीधे आयोग को भेज सकते हैं तथा उन्हें उचित माध्यम से दूसरी प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी, यदि वे आवेदन पत्र उचित माध्यम से भेजने चाहते हैं, तो वे यह सुनिश्चित कर लें कि हर प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक कर्मचारी चयन आयोग में पहुंच जाए ।
12. अभ्यर्थियों को यह नोट कर लेना चाहिए कि यदि आयोग में उनके नियोक्ता द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने हेतु आवेदन करने से रोकने की सूचना मिलती है तो उनके आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे/अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी ।
13. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र अंतिम तिथि से काफी पहले ही डाक द्वारा भेज दें ताकि अंतिम तिथि और समय तक कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंच जाये । किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त हुए आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
14. पात्रता, आवेदनों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा एवं साक्षात्कारों के आयोजन, परीक्षा केन्द्र के आबंटन, चयनित अभ्यर्थियों के पदों/संगठनों के चयन तथा आबंटन संबंधी सभी मामलों का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।
15. जब तक सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिये हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता ।
16. यह विज्ञप्ति क.च.आ. की वेबसाइट sscmpr.org पर भी उपलब्ध है । अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु इस वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन-प्रारूप को डाउनलोड करके इसका प्रयोग किया जा सकता है ।

चयन पद के आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश :-

1. यह नोट किया जाए कि आयोग अपने समस्त परीक्षाओं के लिए समान आवेदन पत्र का उपयोग करता है । परीक्षा की नोटिस एवं अनुदेश के अनुसार सावधानीपूर्वक भरें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आप आवेदन किए जा रहे पद के लिए योग्य हैं ।
2. आवेदन पत्र को भरने के लिए काली/नीली स्याही पेन का उपयोग करें ।
3. आवेदन पत्र के प्रत्येक मद के लिए अनुदेश दिए गए हैं, दिए गए बाक्स को भरने से पूर्व ध्यानपूर्वक देखें । जिन मदों के लिए अनुदेश उपलब्ध नहीं है या अन्य स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, उसके लिए नीचे दिए गए अनुदेश को ध्यानपूर्वक देखें ।
4. अभ्यर्थी कॉलम 10 को ध्यान से भरें । भूपूसे अभ्यर्थी कॉलम 10 एवं 10.1 को भी भरें ।
5. शारीरिक विकलांग अभ्यर्थी, जैसा लागू हो, कालम 10, 11, 11.1, 16 एवं 16.1 को भरें तथा दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों को कॉलम 16 एवं 16.1 अवश्य भरना चाहिए । आयोग किसी पद के लिए 'स्क्रीनिंग/स्कील टेस्ट' आयोजित करने का निर्णय ले सकता है ।
6. कॉलम 12.1- श्रेणी कोड आयोग की वेबसाइट में दिया गया है - <http://ssc.nic.in>
7. कॉलम 12.2-सभी श्रेणी के आवेदकों के लिए, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आयु सीमा का उल्लेख करें ।
8. कॉलम 13-पदों की वरीयता के लिए रिक्त छोड़ी जाए ।
9. कॉलम 16-शैक्षणिक योग्यता- अनुलग्नक-VIII में दिए गए शैक्षणिक योग्यता एवं विषय पूर्णरूपेण (Exhaustive) नहीं है । यदि अभ्यर्थी ऐसी कोई शैक्षणिक योग्यता रखते हैं अथवा विषय पढ़ें हैं, जो अनुबंध-10 में नहीं दिया गया है, तो वे शैक्षणिक योग्यता तथा विषय के कॉलम में 'अन्य' लिख सकते हैं ।

- 10.** अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, कि वे अनिवार्य योग्यता को पूरी करते हैं । अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करें, अन्यथा आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।
- 11.** कॉलम 19– अभ्यर्थी अपना नाम और पत्र व्यवहार का पता अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखें तथा 6 अंकों में पिन कोड अवश्य लिखें ।
- 12.** कॉलम 20– हाल ही में खिंचाया गया पासपोर्ट साइज (4X5 CM) का फोटो चिपकाएं । स्टेपल नहीं करें और न ही सत्यापित कराएं । यह ध्यान रखें कि बिना फोटो के आवेदन को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।
- 13.** कॉलम 21 एवं 22– अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर 'घसीट लिपि' में ही करें । अहस्ताक्षरित आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे । अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में किया गया हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा और आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा । हस्ताक्षरों में भिन्नता पाए जाने पर आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।

शैक्षणिक योग्यता कोड

कोड	शैक्षणिक योग्यता	कोड	शैक्षणिक योग्यता	कोड	शैक्षणिक योग्यता
1	मैट्रिक	13	बी ई	25	एम ए
2	इंटरमीडिएट	14	बी टेक	26	एम कॉम
3	सर्टिफिकेट	15	एएमआईई-पार्ट एबी	27	एम एस सी
4	डिप्लोमा	16	बी एस सी -इंजीनियरिंग	28	एम एड
5	बी ए	17	बी सी ए	29	एम एल एम
6	बी ए-ऑनर्स	18	बी बी ए	30	एम ई
7	बी काम	19	रक्षा मंत्रालय का स्नातक उपाधि	31	एम टेक
8	बी काम-ऑनर्स	20	बी लिब	32	एम एस सी-इंजीनियरिंग
9	बी एस सी	21	बी फार्मा	33	एम सी ए
10	बी एस सी-ऑनर्स	22	आई सी डब्लू ए	34	एम बी ए
11	बी एड	23	सी ए	35	अन्य
12	एल एल बी	24	पी जी डिप्लोमा		

विषय कोड

कोड	विषय	कोड	विषय	कोड	विषय
1	इतिहास	28	लेखाशास्त्र	55	दूरसंचार अभियांत्रिकी
2	राजनीति विज्ञान	29	वर्क अकाउंटन्सी	56	समाजिक कार्य
3	अर्थशास्त्र	30	व्यापार प्रबंधन	57	समाज विज्ञान
4	अंग्रेजी साहित्य	31	जन संचार	58	अपराध विज्ञान
5	हिन्दी साहित्य	32	पत्र कारिता	59	जैव-भौतिकी
6	भूगोल	33	जनसंचार एवं पत्रकारिता	60	जैव-रसायन
7	वाणिज्य	34	फॉर्मसी	61	जैव-प्रौद्योगिकी
8	विधि	35	फोटोग्राफी	62	संचार
9	भौतिकी	36	मुद्रण प्रौद्योगिकी	63	इलेक्ट्रॉनिक्स
10	रसायन	37	नर्सिंग	64	रेडियो अभियांत्रिकी
11	गणित	38	असमी	65	रेडियो संचार
12	सांख्यिकी	39	बंगाली	66	धातु विज्ञान
13	वनस्पति शास्त्र	40	मलयालम	67	वस्त्र प्रौद्योगिकी
14	प्राणी विज्ञान	41	तेलुगू	68	रबर प्रौद्योगिकी
15	कृषि विज्ञान	42	कन्नड़	69	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी
16	सिविल अभियांत्रिकी	43	तमिल	70	पॉलीमर एवं रबर प्रौद्योगिकी
17	वैद्युत अभियांत्रिकी	44	मराठी	71	शारीरिक शिक्षा
18	यांत्रिक अभियांत्रिकी	45	गुजराती	72	कृषि शास्त्र
19	इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी	46	उर्दू	73	पौध प्रजनन
20	इलेक्ट्रॉनिक एवं उर्जा अभियांत्रिकी	47	संस्कृत	74	अनुवांशिकी
21	इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार अभियांत्रिकी	48	अन्य	75	ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग
22	इलेक्ट्रॉनिक एवं इंस्ट्रुमेंटल अभियांत्रिकी	49	वैमानिकी अभियांत्रिकी	76	मैरिन इंजिनियरिंग
23	कृषि अभियांत्रिकी	50	रसायनिक अभियांत्रिकी	77	नैवल आर्किटेक्चर
24	कम्प्यूटर विज्ञान	51	सूक्ष्म जीव विज्ञान	78	आपरेशन रिसर्च
25	कम्प्यूटर अनुप्रयोग	52	फॉरेंसिक विज्ञान	79	इंस्ट्रुमेंटेशन इंजिनियरिंग
26	सूचना प्रौद्योगिकी	53	अंतरिक्ष अभियांत्रिकी	80	जैवभौतिकी
27	पुस्तकालय विज्ञान	54	रॉकेटरी	81	व्यावहारिक भौतिकी

कर्मचारी चयन आयोग Staff Selection Commission

APPLICATION FORM/आवेदन प्रपत्र

कृपया परीक्षा के नोटिस में दिए गए अनुदेशों/संलग्न विवरणिका को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। बॉक्सों (□) में लिखने के लिए नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग करें।
Please read instructions in the Notice of the Examination / Brochure carefully. Use Blue or Black ball pen to write in the boxes (□).

1. विज्ञापन सं./Advertisement No. 2. कैट नं./CAT No.

3. उम्मीदवार का पूरा नाम (अंग्रेजी में) मैट्रिक्यूलेशन प्रमाण पत्र में दिए गए नाम के अनुसार बड़े अक्षरों में लिखें। नाम के किसी दो भागों के बीच एक बर्तन को खाली छोड़ दें।
Candidate's Full Name (in English). Write in Capital Letter exactly in Matriculation Certificate. Leave a box blank between any two parts of the name.

4. पिता का नाम (बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में लिखें)/Father's Name (Write in Capital Letters in English)

5. माता का नाम (बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में लिखें)/Mother's Name (Write in Capital Letters in English)

6. जन्म की तारीख /Date of Birth 7. लिंग/Gender 8. राष्ट्रियता/Nationality 9. शुल्क/Fees

दिन/Day माह/Month वर्ष/Year (Write 2-Digits & 2-Digits) (Write 1-Auditor & 2-Others) (Write For pM, S, B, E, etc. as directed)

10. श्रेणी/Category 10.1 क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं/Whether Ex-Serviceman 11. क्या आप शारीरिक विहालांग हैं?/Whether PH?

(Write A-General, T-SC, 2-ST & 4-OBC) (Write Ex-Serviceman) (Write 1-Yes, 2-No)

11.1 यदि हाँ, कोड अंकित करें/If Yes, indicate Code 12. क्या आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं?/Whether seeking Age relaxation? 12.1 यदि हाँ, कोड अंकित करें/If Yes, indicate Code 12.2 अवेदन प्राप्त की सामान्य अंतिम तिथि को आयु/Age as on normal closing date

(Write 4-GR, 5-MR, 7-VNR) (Write 1-Yes, 2-No) (Write two digit Numerical Code) Year Months Days

13. पदों की प्राथम्यता/Preference for Posts 14. भूतपूर्व सैनिक के लिए/For Ex-Servicemen सेवा समाप्ति तिथि/Date of Discharge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेवा वर्षों/Length of Service (In Years) Y M D

15. क्या आप अल्पसंख्यक हैं/Whether belong to Minority Communities as per Govt. Orders (W-1, W-2) 16. यदि दृष्टि अक्षित विकलांग हैं तो क्या आपको प्रतिष्ठित (अ-1, अ-2) की आवश्यकता है?/If VH, whether scribble is required? (W-1-Yes, 2-No)

16.1 यदि हाँ, तो माध्यम अंकित करें, अंग्रेजी के लिए 1, हिन्दी के लिए 2/If Yes, indicate medium of Scribble (1-English, 2-Hindi)

17. शैक्षणिक कोड/Educational Qualification Code विषय कोड/Subject Code अंक का प्रतिशत/Percentage of Marks माध्यम/Medium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

अंग्रेजी के लिए 1 लिखें, हिन्दी के लिए 2 लिखें व अन्य के लिए 3 लिखें/Write 1 for English, 2 for Hindi & 3 for Others

18. कार्य अनुभव का विवरण/Details of work Experience

संस्था का नाम Name of the organisation(s)	पद का नाम Designation	कार्य का विवरण Nature of Duty(ies)	कार्य की अवधि /Period of Service से/From	तक/To

19. पता : अपने नाम सहित पत्र पत्रकार का पूरा पता अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में या हिन्दी में बड़े अक्षरों में लिखें या काले बॉल पेन से लिखें।
Address : Write your complete Communication Address including your Name in English Capital Letters or Hindi with Blue or Black Ball Pen.

नाम Name :

पता Address :

सिम PIN :

20. फोटोग्राफ
4 से.मी. X 5 से.मी. आकार का शाल डी में शीशा पर फोटोग्राफ चिपकाएँ। (स्टैपल न करें। काले को सजावित न करें।)
Photograph Paste here firmly your recent photograph (4 cm. X 5 cm.) (Do not staple. Do not get the Photograph attached)

अनुमति संख्या (केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)
Roll Number (for Office use only)

21. उम्मीदवार की हस्ताक्षर (केवल धर्मिक हस्ताक्षर में)
Signature of Candidate (Only in running Hand)

19.1 मोबाइल/Mobile No. :

ई-मेल/E-mail ID :

असंकेतित आवेदन खारिज हो सकता है।
Unsigned application will be rejected

21. घोषणा/Declaration

Space for
cancellation stamp by post
office after affixing CRF stamp
के. भ. शुल्क टिकट चिपकाने के बाद
डाकघर द्वारा रद्द किये जाने वाले
टिकट हेतु स्थान

22. के.भ. शुल्क टिकट के लिए स्थान
Space for CRF Stamp

अपेक्षित मूल्य वर्ग का के. भ.
शुल्क टिकट यहाँ ठीक ढंग
से चिपकाएँ तथा डाकघर से
रद्द करा दें जहाँ से वह
करीब आया है।

- (i) मैंने इस भर्ती के लिए कोई और आवेदन पत्र नहीं भेजा है मुझे यह मालूम है कि यदि मैं इस नियम का उल्लंघन करता / करती हूँ तो आयोग द्वारा मेरा आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
I have not submitted any other application for this examination. I am aware that if I contravene this rule, my application will be rejected summarily by the Commission.
- (ii) मैंने विज्ञप्ति में दी गई शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं एतद्वारा उनका पालन करने का वचन देता/देती हूँ।
I have read the provisions in the Notice of the examination carefully and I hereby undertake to abide by them.
- (iii) मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता आदि संबंधी पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता/ करती हूँ।
I further declare that I fulfill all the conditions of eligibility regarding age limits, educational qualifications etc., prescribed for admission to the examination.
- (iv) मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे आजतक कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से नहीं रोका गया है तथा मुझे किसी भी विधि न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं पाया गया है।
I also declare that I do not stand debarred by SSC/UPSC/CPWD/MES/Dept. of Posts as on date and have never been convicted by any court of law.
- (v) *आयु सीमा में छूट चाहने वाले केन्द्र सरकार के असैनिक कर्मचारी के लिए
मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं एक केन्द्र सरकार का एक असैनिक कर्मचारी हूँ एवं नियमित आधार पर 3 वर्ष की सेवा या सेवाकाल अवधि जैसा की परीक्षा नोटिस में निर्धारित है, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि या उससे पूर्व, पूर्ण करता हूँ।

Write the certification statement below in your running handwriting and put your signature. This is compulsory.

"मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं वहीं व्यक्ति हूँ जिसका नाम एवं फोटोग्राफ इस आवेदन पत्र पर है।"

"I certify that I am the person whose Name and Photograph appear on this Application Form."

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
Signature of the Candidate

अनुलग्नक -1

(अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र)

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए अजा/अजजा के अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी ग्राम/कस्बा.....
जिला/संभाग.....राज्य/संघ क्षेत्र.....के (जाति का नाम).....
अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है, जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*
संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ क्षेत्र आदेश, 1951*
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956, मुंबई रिआर्गनाईजेशन एक्ट, 1960, पंजाब रिआर्गनाईजेशन एक्ट, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (रिआर्गनाईजेशन) एक्ट, 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956,
 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959,
 संविधान (दादरा एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 @
 संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 @
 संविधान (उत्तर प्रदेश) (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1967 @
 संविधान (गोवा, दमन एवं द्वीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 @
 संविधान (गोवा, दमन एवं द्वीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 @
 संविधान (नगालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 @
 संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 @
 संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 @
 संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 @
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @
 संविधान (अनुसूचित जनजातिजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 @
 संविधान (अनुसूचित जनजातिजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @
 संविधान (अनुसूचित जनजातिजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1996 @

2 यह उन अनुसूचित जातियों, जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी..... के माता/पिता श्री/श्रीमती..... निवासी ग्राम/कस्बा..... जिला/संभाग..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र..... को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो.....जाति/जनजाति से संबंधित है जोदिनांक.....द्वारा जारी.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

3 श्री/श्रीमती/कुमारी..... और/या..... उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा..... जिला/संभाग..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र..... में रहता है ।

राज्य/संघ क्षेत्र.....
 स्थान.....

हस्ताक्षर
 पदनाम.....

दिनांक.....
 की मुहर सहित)

(कार्यालय

जो लागू न हो उसे काट दें ।

@ राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हों उसे काट दें ।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम -1950 की धारा 20 में है ।

टिप्पणी-(ख): जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए हैं :-

1. डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटीव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (फर्स्ट क्लास स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे की रैंक का न हो)
2. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के रैंक का न हो ।
4. उस क्षेत्र का सब डिविजनल आफिसर जहां अभ्यर्थी और या उसका परिवार साधारणतया रहता है ।

अनुलग्नक -2

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 पुत्र/पुत्री.....ग्राम.....जिला/संभाग.....
प्रदेश.....के निवासी (जाति का नाम).....समुदाय से संबंधित
 है जो निम्नलिखित के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है :- (जो लागू है उस पर सही का
चिह्न लगाएं)

1. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1 सां 186, दिनांक 13 सितंबर, 1993 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी(सी), दिनांक 10 सितंबर, 1993.
2. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 163, दिनांक 20-10-1994 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/9/94-बीसीसी, दिनांक 19-10-1994
3. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, सं. 88, दिनांक 25-5-1995 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/7/95-बीसीसी, दिनांक 24-5-1995
4. संकल्प सं. 12011/96/94-बीसीसी दिनांक 9-3-1996
5. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, सं. 210, दिनांक 11-12-1996 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/96-बीसीसी, दिनांक 6-12-1996
6. संकल्प सं. 12011/13/97-बीसीसी, दिनांक 3-12-1997
7. संकल्प सं. 12011/99/94-बीसीसी, दिनांक 11-12-1997
8. संकल्प सं. 12011/68/98-बीसीसी, दिनांक 27-10-1999
9. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, सं. 270, दिनांक 6-12-1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/88/98-बीसीसी, दिनांक 6-12-1999
10. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, सं. 71, दिनांक 4-4-2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/36/99-बीसीसी, दिनांक 4-4-2000
11. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, सं. 210, दिनांक 21-9-2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/99-बीसीसी, दिनांक 21-9-2000

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/या उनका परिवार साधारणतया.....
 ... प्रदेश के.....जिला/संभाग में रहती/रहता है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी), दिनांक 8-9-93 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरईएस), दिनांक 14/10/2008 के तहत संशोधित किया गया है, की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (किमी लेयर) से संबंधित नहीं है ।

दिनांक-

मुहर-

जिलाधीश या उपायुक्त इत्यादि

टिप्पणी-(क): यहां प्रयुक्त साधारणतया शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के खंड-20 में है ।

टिप्पणी-(ख): जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए हैं :-

5. डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटीव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (फर्स्ट क्लास स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे की रैंक का न हो)
6. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ।
7. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के रैंक का न हो ।
8. उस क्षेत्र का सब डिविजनल आफिसर जहां अभ्यर्थी और या उसका परिवार साधारणतया रहता है ।

अनुलग्नक -3

शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निःशक्तता प्रमाण पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता.....
.....

प्रमाण पत्र संख्या-.....दिनांक.....

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....
.....आयु..... लिंग.....पहचान चिन्ह.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी
निःशक्तता से ग्रस्त है :-

क- गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिंग)

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1- दोनों टांगें (बी एल) | - | दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं |
| 2- दोनों बांहें (बी ए) | - | दोनों बांहें प्रभावित --- |
| | | क-दुर्बल पहुंच |

यहां

चिकित्सा बोर्ड

		ख-कमजोर पकड़	के अध्यक्ष
<u>द्वारा</u>			
3- दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए) –		दोनों टांगे और दोनों बांहें प्रभावित	<u>विधिवत</u>
<u>प्रमाणित</u>			
4- एक टांग (ओ एल) –		एक टांग प्रभावित (दायीं या बायीं)	<u>हाल ही</u>
<u>का अनु-</u>			
		क-दुर्बल पहुंच	<u>प्रमाणित</u>
<u>फोटो</u>			
		ख-कमजोर पकड़	<u>चिपकाएं</u>
<u>जो</u>			
		ग-गति विभ्रम (अटैक्सिस)	<u>उम्मीदवार</u>
<u>की</u>			
5- एक बांह (ओ ए) –		एक बांह प्रभावित	
<u>निःशक्तता को</u>			
		क-दुर्बल पहुंच	<u>दर्शाता हो</u>
<u>।</u>			
		ख-कमजोर पकड़	
		ग-गति विभ्रम (अटैक्सिस)	
6- पीठ और नितम्ब (बी एच) –		पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)	
7- कमजोर मांसपेशियां (एम डब्लू) –		मांसपेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति	
ख- अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –			
1- बी –		1- अंधता	
2- पी बी –		2- आंशिक रूप से अंधता	
ग- कम सुनाई देना –			
1- डी –		1- बधिर	
2- पी डी –		2- आंशिक रूप से बधिर	

(उस श्रेणी को हटा दें, जो लागू न हो)

2. यह स्थिति प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/इसमें सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्षों..... महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। (जो लागू न हो उसे काट दें)

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत.....है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं :-

- | | |
|----------|---|
| 1-एफ | – अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं |
| हां/नहीं | |
| 2-पी पी | – धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं |
| हां/नहीं | |
| 3-एल | – उठाने क जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं |
| हां/नहीं | |

- 4-के सी हां/नहीं – घुटनों के बल झुकने और दबकर कार्य कर सकते/सकती हैं
- 5-बी हां/नहीं – झुककर कार्य कर सकते/सकती हैं
- 6-एस हां/नहीं – बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं
- 7-एस टी हां/नहीं – खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं
- 8-डब्लू हां/नहीं – चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं
- 9-एस ई हां/नहीं – देखकर कार्य कर सकते/सकती हैं
- 10-एच हां/नहीं – सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं
- 11-आर डब्लू हां/नहीं – पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं

(डॉ.....)
.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड
बोर्ड

(डॉ.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डॉ.....)

अध्यक्ष
चिकित्सा

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा

प्रतिहस्ताक्षरित

(मुहर सहित)

अनुलग्नक -4

सेवारत रक्षा कर्मचारियों के प्रमाण पत्र के लिए प्रपत्र

कृपया इस विज्ञप्ति का पैरा 3.7 को देखें)

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार
.....(नंबर).....(रैंक).....(नाम).....दिनांक.....को सशस्त्र
सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरा कर लेंगे ।

स्थान-
दिनांक-

कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर

अनुलग्नक -5

(इस विज्ञप्ति की पैरा 3.8 के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाला वचनपत्र)

मैं जानता/जानती हूँ कि यदि उस भर्ती/परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है, के द्वारा मेरा चयन हो जाता है तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य प्रस्तुत करने और उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत मुक्त किया गया है/कार्यमुक्त किया गया है तथा मैं भूपूसै (समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर) पुनर्नियुक्ति नियमावली, 1979 की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूँ।

मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, स्वायत्त निकाय आदि शामिल हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त होने का पात्र नहीं होऊंगा।

स्थान-
दिनांक-

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-6

केवल सिविल पद पर कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के आवेदकों के लिए

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपने कार्यालय प्रमुख/विभाग/मंत्रालय को लिखित रूप में सूचित कर रहा/रही हूँ कि मैंने इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

स्थान :
दिनांक :

(आवेदक का हस्ताक्षर)

अनुलग्नक-7

आयु सीमा में छूट चाहने वाले विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

(अभ्यर्थी के कार्यालयाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी सेवारत है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं और समूह.....के गैर तकनीकी पद पर.....के रूप में.....रु. के वेतनमान में कार्य कर रहे/रही हैं । उन्हें इस पद पर नियमित आधार पर कार्य करते हुए दिनांक - - को 3 वर्ष हो गए हैं । गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा निष्पादित कार्यों की प्रकृति विस्तार से संलग्न पत्र में विधिवत रूप से प्रमाणित कर दी गई है ।

स्थान -
दिनांक -

हस्ताक्षर -
नाम -
कार्यालय की मुहर -